	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 29, सोमवार, शाके 1942–जुलाई 20, 2020 *Asadha 29, Monday, Saka 1942–July 20, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 26, 2020

जी.एस.आर. 188:-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 है। (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 8 में संशोधन -** नियम 8 में मौजूदा अभिव्यक्ति 'उच्च न्यायालय का उप रजिस्ट्रार की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी न हो' के स्थान पर " जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कैडर का अधिकारी (प्रवेश स्तर) न हो" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. **अनुसूची- 'ख' का प्रतिस्थापन -** उक्त मौजूदा नियमों की अनुसूची - ख निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएगी।

"अनुसूची -ख"

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

(नियम 9 देखिए)

क्र.सं.	**पद का नाम**	**वेतनमान**	**पदों की संख्या**	**अभ्युक्तियां**
1.	सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कैडर (प्रवेश स्तर) के अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कैडर (प्रवेश स्तर) के अधिकारी
2.	आशुलिपिक ग्रेड-II	वहीं वेतन जो राज्य सरकार के समतुल्य	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय	-

		पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	पर स्वीकृत किये जायें	
3.	लिपिक ग्रेड-I	वहीं वेतन जो राज्य सरकार के समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
4.	लिपिक ग्रेड-II	वहीं वेतन जो राज्य सरकार के समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वहीं वेतन जो राज्य सरकार के समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

[संख्या प.8(1)विधि-2/विरसं(136)/2017]

राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
एवं विधि परामर्शी राजस्थान जयपुर।

LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 26, 2020

G.S.R.188 .-In exercise of the powers conferred by section 28 the Legal Services Authorities Act, 1987, (Central Act No. 39 of 1987), the State Government in consultation with the Chief Justice of the Rajasthan High Court, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995 namely:-

1. **Short title and Commencement** :- (1) These rules may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2019
   (2) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the official gazette.
2. **Amendment of Rules 8** :- In Rule 8, the existing expression "of the High Court not below the rank of Deputy Registrar" shall be substituted by the expression "of District Judge/Additional District Judge Cadre (entry level)".

3. Substitution of Schedule B:- The existing Schedule B appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

Schedule – B
High Court Legal Services Committee
(see rule 9)

Sr. No.	**Name of the Post**	**Scale of Pay**	**Number of Posts**	**Remarks**
1.	Secretary, Rajasthan High Court Legal Services Committee	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Services in the District & Sessions Judge Cadre (entry level).	As may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the Rajasthan Judicial Service in the District Judge/Additional District Judge Cadre (entry level)
2.	Stenographer Gr. II	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
3.	Clerk Grade - I	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
4.	Clerk Grade - II	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
5.	Class IV Employee	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-

[No.8(1)Law-2/VRS(136)/2017]
By Order of the Governor,

Principal Secretary, LAW
Law and Legal Affairs Department.

Government Central Press, Jaipur.